3

अध्यापक शिक्षा पर 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' का प्रभाव

उषा शुक्ला*

'शिक्षा अधिकार' की सार्वभौम घोषणा के साथ-साथ शिक्षा-जगत में हो रहे परिवर्तन अध्यापक-शिक्षा के संबंध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता अनुभूत करा रहे हैं, क्योंकि अध्यापक शिक्षा के लिए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009* की संकल्पना को समुचित आधार प्रदान करने तथा आधुनिक संदर्भों को आत्मसात् करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हमारे शिक्षक बहुआयामी हों।

कल और आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका के संबंध में तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए शिक्षक-शिक्षा की आवश्यकतानुरूप रणनीति बनाना आवश्यक हो गया है। सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि हम कैसे शिक्षक चाहते हैं? विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के मतों का अध्ययन करने के उपरांत प्रशिक्षण की प्रभावी योजना बनाई जाएँ, जो तीन स्तरों पर शिक्षक को मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

- सेवापूर्व प्रशिक्षण
- सेवाकालीन प्रशिक्षण
- आवश्यकतानुरूप समर्थन — इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संभावित स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है —

प्रारूप

- संगोष्ठी
- पत्राचार
- समूह चर्चा
- सतत संवाद
- आभासी स्वरूप
- सेवाकालीन प्रशिक्षण

प्रबंधन

- सूचना के स्थान पर प्रयोग
- नवीन विषयवस्तु
- सतत मूल्यांकन
- फ़ीडबैक
- खंड प्रशिक्षण
- व्यावहारिकता
- नई तकनीक

समर्थन

- विषयवार शिक्षक समूह
- पिरामिडीय शिक्षक समूह
- अनुभव हस्तांतरण
- मेंटर्स-प्रणाली
- एकीकृत शिक्षक मंच

* *प्रवक्ता*, डाइट, 1418 आनंद कॉलोनी, बलदेव बाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश

समय की माँग, परिस्थितियों के प्रभाव और विज्ञान के विस्तार ने ज्ञान की नई परतें खोल दी हैं। अथ से इति तक प्रासंगिकताएँ और भूमिका भी बदली हैं।

गुरुमुख से सुनी गई ऋचाओं को आत्मसात् करने वाले शिष्यों के सामने सूचनाओं का मायावी संसार खुला पड़ा है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि शिक्षक को बहुआयामी बनना ही पड़ेगा।

अध्यापक शिक्षा का ज्ञानाधार क्या हो? इस बिंदु पर विचार करने के पूर्व हमें अब की भूमिकाओं/प्रासंगिकताओं के संबंध में नए सिरे से सोचना होगा।

बदलाव के बिंदु

शिक्षकों को साँचों के द्वारा अथवा किन्हीं कर्मशालाओं में नहीं गढ़ा जा सकता। इनकी अभिवृत्तियों का विकास हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में ही किया जा सकता है। पूर्णतः समर्पित शिक्षक इस सदी की आवश्यकता है। शासकीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ निजी प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई है, किंतु आवश्यकता इस बात की है कि इन संस्थानों का पुनर्नवीकरण, आदर्श, भौतिक और मानवीय संसाधन, विविध उपकरण, अनुकूल परिवेश और दक्ष शिक्षक-प्रशिक्षकों की आपूर्ति ही इन संस्थानों को सही स्वरूप प्रदान कर सकेगी।

अध्यापक शिक्षा

'शिक्षा के अधिकार' की सार्वभौम घोषणा के साथ-साथ परिवर्तन की जो लहर उठी है उसने अध्यापक-शिक्षा को भी कई आयाम दिए हैं क्योंकि अध्यापक शिक्षा के लिए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2009* की संकल्पना को समुचित आधार प्रदान करने तथा आधुनिक संदर्भों को आत्मसात् करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन आवश्यक हैं —

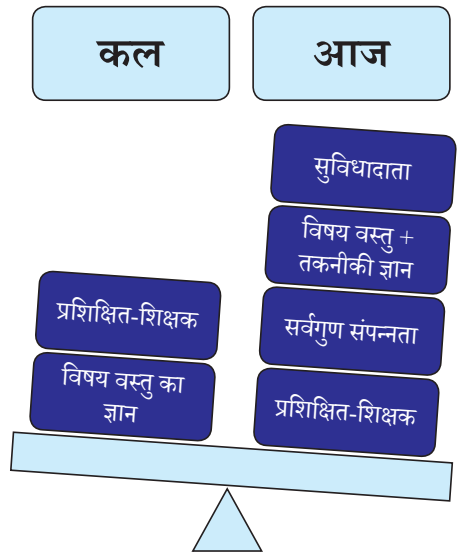

- प्रशिक्षक केंद्रित
  प्रशिक्षार्थी केंद्रित
- निष्क्रिय शिक्षक
  सक्रिय भागीदारी
- कक्षागत सीमाएँ
  व्यावहारिक संदर्भ
- ज्ञान बनाम सूचना
  अनुभव ज्ञान
- बाह्य अनुशासन
  स्वायत्तता/अनुशासन
- रैखिक अनुभव
  बहुविध अनुभव
- परंपरागत पाठ्यचर्या
  नवीन परिवर्तनशील पाठ्यचर्या
- परंपरागत प्रविधियाँ
  नवीन प्रविधियाँ/प्रशिक्षण मॉडल

- समयबद्ध मूल्यांकन
  बहुविध सतत मूल्यांकन
- निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम
  आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण
- परंपरागत पर आधारित
  प्रौद्योगिकी पर आधारित
- नियम पालन पर बल
  अनुसंधान/नवाचार पर बल

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास के उपरांत जन्मी वैचारिक क्रांति को आधार प्रदान करने एवं मानवीय मूल्यों की पुनः स्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों का अभिवृत्यात्मक विकास किया जाए।

भारत के भावी 'कल' के निर्माता को 'आज' का सक्रिय आश्वासन देने के लिए क्रमशः राष्ट्र समाज और शिक्षक-प्रशिक्षकों के द्वारा सक्रिय पहल करने की आवश्यकता है। यह आश्वासन तीन रूपों में दिया जा सकता है—

1. सेवापूर्व प्रशिक्षण
2. सेवाकालीन प्रशिक्षण
3. आवश्यकतानुरूप समर्थन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की घोषणा के उपरांत समूचे शिक्षा जगत में एक हलचल-सी मची हुई है। खेतों, ढाबों, खलिहानों और गैरेजों में पसीना बहाने वाले राष्ट्र के नौनिहालों को शिक्षालय तक खींचकर लाना और सत्र पर्यंत शाला में रोके रखकर दक्षतासंपन्न बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

शिक्षकों को कैसे ज़िम्मेदार बनाया जाए। कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जाए कि वे अपनी शिक्षण पद्धति को रोचक बनाएँ और शालाओं को सुन्दर बनाएँ।

शालाओं की वास्तविक स्थिति बहुत खराब है। कुर्सियों पर जमे हुए अथवा लेखन कार्य करते हुए शिक्षक महोदय और विद्यार्थी... यंत्रवत् बारह खड़ी, पहाड़े या कविताएँ रटते हुए या फिर चित्रों की भाँति पाठ्यपुस्तक के शब्दों को कॉपी पर उतारते बच्चे जड़ता, सुस्ती और अन्यमनस्कता की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

5 ये 14 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग अट्ठानवे प्रतिशत बच्चे नामांकित हो चुके हैं... किंतु इस बात की क्या गारंटी है कि ये सभी आठवीं की शिक्षा आवश्यक दक्षताओं के अधिग्रहण के साथ-साथ अनिवार्यतः शिक्षा पूर्ण कर सकेंगे।

अध्यापक शिक्षा की योजना तो वर्षों से बन रही है। देखते ही देखते स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्षों के बाद भी अभी तक प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों के मध्य आपसी संवाद स्थापन संभव नहीं हो सका है।

पाश्चात्य विद्वान हैसेट के अनुसार शिक्षकीय अभिप्रेरणा के प्रतिमानों का विकास प्रत्येक प्रशिक्षण में आवश्यक है—

- प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक को इतना जागरूक बनाया जाए कि वह स्वतः अपना उद्देश्य निर्धारण करे।
- उसे इस बात का अभ्यास कराया जाए कि वह प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति आशान्वित व्यवहार करे।
- प्रत्येक शालेय गतिविधि और व्यवहार पारदर्शी हो।
- कक्षाध्यापन में विभिन्न शिक्षण-प्रतिमानों का प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो।

- शिक्षकीय पेशे के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति (पसंदगी) विकसित हो।
- स्वाध्याय, चिंतन, नवाचार की चेतना जाग्रत हो।

शिक्षा का अधिकार

राष्ट्र एक जीवंत संज्ञा है। धरातलीय उच्चावच तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि से नहीं वरन्, प्राणियों से मिलकर राष्ट्र बनता है। यह मानव-समुदाय जितना जागरूक, जितना ज्ञानवान और जितना सक्रिय होगा विश्व पटल पर राष्ट्र उतना ही गौरवान्वित होगा।

शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का उद्घाटन करने के साथ-साथ उसे सक्रिय और जागरूक भी बनाती है संभवतः इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नव स्वतंत्र राष्ट्र की संविधान सभा में ही उद्घोषणा की थी — 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। लगभग आधी सदी बीत जाने के उपरांत भी हम अपने लक्ष्य को हासिल न कर सके तो भारत सरकार ने सन् 2002 की अनुशंसा के आधार पर जुलाई 2009 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर लिया। धर्म, लिंग, जाति, वर्ग और प्रांत का भेदभाव किए बिना अब शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। इस अधिकार की अभिप्राप्ति की दिशा में निम्नलिखित बिंदुओं को दृष्टिगत रखा गया —

- विद्यार्थियों को सिखाने का सतत अभ्यास एवं सीखने की ललक जगाना।
- सार्थक दृष्टिकोण का विकास।
- समुचित निष्पादन हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी और परिणाममूलक बनाना।
- विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने में परिवार एवं समुदाय की सक्रिय भूमिका।
- कक्षा कक्ष में समानता को समर्थन प्रदान करना।
- प्रगति का आकलन तथा समस्याओं का स्थल पर ही निपटारा।
- स्थानीय प्रशासकों का सहयोग लेना।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

यहाँ निःशुल्क से तात्पर्य — किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फ़ीस/शुल्क/व्यय देय नहीं होगा जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो। विधेयक के प्रावधानों के तहत इस आयु वर्ग (6–14 वर्ष) के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा शत-प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की है। पालकों के लिए मूलभूत दायित्व में इसे सम्मिलित किया गया है। अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों के लिए भी रणनीति निर्धारित की गई है, ताकि प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सके।

भारत गाँवों का देश है और आज भी इसकी आबादी का इकहत्तर प्रतिशत अंश ग्रामीण है जो अज्ञान, अंधविश्वास और पिछड़ेपन के अँधेरों में घिरा हुआ है। इस घनघोर अँधेरे में 'शिक्षा का अधिकार' नामी अग्निशलाका को हाथ में लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती हैं।

इस बात की भी कोई संभावना नहीं है कि पदस्थ सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ अभिक्षमता से युक्त हैं क्योंकि जन साधारण में एक बात अकसर सुनने को मिल जाती है कि जिसे तलाशने पर अन्य क्षेत्रों

में रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते वे ही व्यक्ति शिक्षकीय पेशे को अपनाते हैं।

अध्यापक शिक्षा — राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भ में

1. शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक शिक्षक की ज़रूरत है। स्कूल के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली माँग के संबंध में तैयार करना, स्कूल ज्ञान, शिक्षार्थी और सीखने के सवालों की प्रक्रिया से पूर्ण करना हमारा दायित्व है। स्कूल प्रणाली से शिक्षक समय-समय पर परिवर्तन की उम्मीदों, व्यापक, आर्थिक और व्याप्त राजनीतिक परिवर्तन के लिए समाज में जगह ले रहे हैं।
2. शिक्षक-प्रशिक्षण में अवधारणात्मक निवेशों को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि वे शैक्षिक घटनाओं, जैसे — क्रिया, प्रयास, प्रक्रिया, अवधारणा और घटनाओं का वर्णन-विश्लेषण करें। इस प्रकार के शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार को समन्वित देखने का मौका मिलेगा न कि उनको दो अलग-थलग पहलुओं के रूप में देखने का। यह विद्यार्थी-शिक्षक को हर रूप में सक्षम बनाता है, ताकि उसमें क्षेत्र-आधारित पद्धतियों के प्रति आलोचनात्मक संवेदना आ सके।
3. अधिगम उस सामाजिक वातावरण/संदर्भ से बेहद प्रभावित होता है जहाँ से शिक्षार्थी और शिक्षक आते हैं। स्कूल और कक्षा का सामाजिक वातावरण सीखने की प्रक्रिया, यहाँ तक कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया पर असर डालता है। इसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक विशिष्टता की जगह उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों की ओर अधिक बल देने की आवश्यकता है।
4. विविध प्रकार के संदर्भों के कारण शिक्षण में विविधता लाने की ज़रूरत होती है। स्कूल की शिक्षा पर स्कूल के बाहर के व्यापक सामाजिक संदर्भों का प्रभाव होता है।

शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समकालीन भारतीय समाज के मुद्दों और चिंताओं, उसके बहुलतावादी स्वभाव और पहचान, लिंग, समता, जीविका और गरीबी के मुद्दों के लिए स्थान होना चाहिए। इससे शिक्षकों में शिक्षा को उसके संदर्भों में रखने उसके उद्देश्य और समाज के साथ उसके संबंधों की समझ अधिक गहरी होगी।

शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साल में एक बार मूल्यांकन के चलन की जगह उसे एक सतत प्रक्रियागत गतिविधि के रूप में पहचानने की आवश्यकता है। इससे शिक्षक-प्रशिक्षक, शिक्षक-विद्यार्थियों के सहयोग, सहकार, पर्यवेक्षक, लिखित-मौखिक क्षमता, दृष्टिकोण, प्रस्तुति आदि में मौलिकता को परख सकेंगे।

अध्यापक शिक्षा — एक समन्वित कार्यक्रम

अध्यापक शिक्षा वह प्रक्रिया है जो ज्ञान, विकास और दृष्टिकोण, कौशलों, प्रवृत्तियों व व्यवहार में बदलाव पर आधारित होती है जो कार्यशालाओं व स्कूली परिस्थितियों में अंत:क्रिया के माध्यम से दी जा सकती है। इसमें केवल विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करने पर ही ज़ोर नहीं रहना चाहिए। बल्कि व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, अनुभावात्मक अधिगम

को प्रोत्साहन, शिक्षकों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदलना, व्यवहार की सहकर्मी-आधारित समीक्षा भी व्यापक रणनीति का हिस्सा बन सकती है। आत्मचिंतन को इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अवयव माना जाना चाहिए। ऐसी प्रशिक्षण नीति तैयार की जानी चाहिए जिसमें आविधिकता, संदर्भ और कार्यक्रम की पद्धतियों की चर्चा हो। लेकिन गुणवत्ता और जीवंत सुनिश्चित करने के लिए अधिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था की ज़रूरत होगी, जिसमें प्रशिक्षण की पद्धति और लक्ष्य साफ़-साफ़ निर्धारित हों। नयी तकनीकों पर आधारित 'व्यापक (मास) प्रशिक्षण' का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए साहसिकता, रचनात्मकता और ईमानदारी की आवश्यकता होगी जिसमें सेवारत शिक्षकों के सरोकारों को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जा सके।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने सुझाव दिया था कि नौकरी के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन विश्वविद्यालयों और शिक्षक संगठनों द्वारा किया जाना चाहिए और हर पाँच साल में इस तरह के कार्यक्रम में हर शिक्षक को दो-तीन महीने बिताने चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम अनुसंधान के आँकड़ों के आधार पर तय होने चाहिए और प्रशिक्षण संस्थानों को साल भर सेमिनार, कार्यशाला रिफ्रेशर कोर्स, 'ग्रीष्मकालीन इंस्टीट्यूट' आयोजित करने चाहिए। शिक्षकों पर राष्ट्रीय आयोग (1983–85) ने शिक्षक केंद्रों का विचार सामने रखा था—जो एक मिलन मंच हो, लोग इकट्ठे हों और अपने-अपने अनुभवों पर विचार विमर्श करें। इसका सुझाव था कि शिक्षक शिक्षावकाश में ज्ञान के केंद्रों की यात्रा पर जा सकते हैं।

प्रत्येक स्तर पर इन बदलावों को लागू करते हुए हम निम्नलिखित कार्यक्रमों का संपादन कर सकते हैं—

लंबवत्/पिरामिड शिक्षक समूह का निर्माण

संस्कृत के प्रति अभिरुचि जगाने तथा क्षेत्रीय स्तर पर समस्या समाधान हेतु महाविद्यालयीन/विद्यालयीन तथा प्रारंभिक शिक्षकों के पैनल का निर्माण किया जाए।

शाला सहकार

शिक्षक डिजिटल-माध्यमों द्वारा अपने अनुभव/ज्ञान को साझा करें।

मेंटर्स प्रणाली

आवश्यकतानुसार अनुभवी शिक्षकों को मेंटर्स के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

अनुभव हस्तांतरण

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर अनुभवों को साझा करने के लिए लेखों का विकास किया जाए।

सामूहिक प्रतिबद्धता

शिक्षकों को सांस्कृतिक-सद्भावना एवं राष्ट्रीयता के प्रसार हेतु संकल्पित करना आवश्यक है।

निर्देशन परामर्श सेवा

वर्तमान परिस्थिति में कुंठाग्रस्त किशोर वर्ग को समुचित निर्देशन प्रदान करने के लिए शिक्षक समुदाय को प्रशिक्षित करना होगा।

प्रारूप

- सूचना के स्थान पर प्रयोग
- नवीन विषयवस्तु
- सतत मूल्यांकन
- फ़ीडबैक
- खंड प्रशिक्षण
- व्यावहारिकता
- नई तकनीक

प्रबंधन

- संगोष्ठी
- पत्राचार
- समूह-चर्चा
- सतत-संवाद
- आभासी-स्वरूप
- सेवाकालीन प्रशिक्षण

समर्थन

- विषयवार शिक्षक-समूह
- पिरामिडीय शिक्षक-समूह
- अनुभव-हस्तांतरण
- मेंटर्स-प्रणाली
- एकीकृत-शिक्षक-मंच

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली.

मध्य प्रदेश प्रशासन. 2007. *मध्य प्रदेश राजपत्र*. मध्य प्रदेश.

राज्य शिक्षा केंद्र. 2007. *पलाश — शैक्षिक पत्रिका*. वार्षिक अंक. राज्य शिक्षा केंद्र. भोपाल. मध्य प्रदेश.

——. 2007. *सामर्थ्य — शिक्षक स्रोत समूह सामग्री* राज्य शिक्षा केंद्र. भोपाल. मध्य प्रदेश.

शर्मा, परमेश्वर. 2012. *सामाजिक शोध व सांख्यिकी*. पेसिफ़िक पब्लिकेशन, दिल्ली.